भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2798
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत सहायकों की भर्ती

2798. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण शासन में पंचायत सहायकों को कौन-कौन सी विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं;

(ख) पंचायत सहायकों के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों और भर्ती प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में इनके बीच क्या अंतर है;

(ग) पंचायत सहायकों को उनकी भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल से परिपूर्ण बनाने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; और

(घ) उनकी नियुक्ति के कार्यकाल के संबंध में दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को सहायता प्रदान के लिए राज्य, अपनी आवश्यकता के अनुसार, कर्मचारियों और पदाधिकारियों की भर्ती, जिसमें पंचायत सहायकों आदि की भर्ती भी शामिल है, करते हैं| इस प्रकार, पंचायत सहायकों से संबंधित सभी मामले जिनमें उनकी भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, भूमिका और जिम्मेदारियाँ, भूमिका हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण, नियुक्ति की अवधि आदि भी शामिल हैं, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनके ब्योरे का रख-रखाव पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है|

****